न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2019-00031RAAJodhpur2019-14RTA223 Anwar Ali Vs Abdul Majid etc

अनवर अली पुत्र अब्दुल अजीज, जाति कसाई(व्यापारी) निवासी– ग्राम गोपा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. अब्दुल मजीद पुत्र जमालदीन कौम व्यापारी, निवासी– ग्राम गोपा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।
2. युनुस पुत्र अब्दुल अजीज
3. मुनार अली पुत्र श्री अब्दुल अजीज

   जातियान् कसाई(व्यापारी) निवासीगण– ग्राम गोपा, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर वर्तमान जिला फलोदी।
4. तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 25/2014 अब्दुल मजीद बनाम अब्दुल अजीज इत्यादि

उपस्थित–

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 23 जनवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2014 अनवान अब्दुल मजीद बनाम अब्दुल अजीज इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 04 फरवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वाराप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 123/30 रकबा 15 बीघा ग्राम गोपा तहसील फलोदी के संबंध में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को केम्प कोर्ट जागरिया में रखते हुए निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अब्दुल अजीज, जो मूल वाद में प्रतिवादी था, जिसके वारिसान् को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक था, जो कार्यचाही किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित की गई है। अब्दुल अजीज के देहांत के बाद उनके सभी वारिसान् द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में हकतर्क लिख दिया गया था, जिस कारण अन्य किसी वारिसान् का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं रहता है। अपीलार्थी एकमात्र खातेदार हो गया था तथा अपीलार्थी ही वाद में कार्यवाही करने हेतु एकमात्र सक्षम पक्षकार था। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या एक से तीन द्वारा आपस में प्रस्तुत किया गया राजीनामा विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी खसरा नं. 123/31 का खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में प्रत्यर्थीगण द्वारा मौके पर आकर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी किये जाने तथा अपीलांट को बेदखल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने की धमकी दिये जाने पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया एवं दिनांक 01.02.2019 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त की तथा जिसे पढने पर अपीलांट को प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं होना लाजमी है। न्याय हित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2072–2075 ग्राम गोपा तहसील फलोदी के मुताबिक अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 123/31 रकबा 15 बीघा का रेकर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या एक के फौते होने का तथ्य विचारण न्यायालय के सामने आने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी अब्दुल अजीज के सभी वारिसान् को रेकर्ड पर लिये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि दिनांक 24.04.2018 को मूल वाद की पत्रावली सहायक कलक्टर बाप से सहायक कलक्टर फलोदी को स्थानांतरित की गई। सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा स्थानांतरित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण में पक्षकारान् को नोटिस जारी किये बिना सीधे में पत्रावली को केम्प कोर्ट जागरिया में रखकर सभी आवश्यक पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या दो के सभी वारिसान्/ अपीलार्थी को रेकर्ड पर लिये बिना तथा उसे अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 25/2014 अनवान अब्दुल मजीद बनाम अब्दुल अजीज इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 जून 2019 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट सहित उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले विधिनुसार पुनः निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर